

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ. 33(8) खा.वि./प्रोक्यो./ क्रय केन्द्र/2023-24


जयपुर, दिनांक 31/05/2023

:- आदेश :-

विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.04.2023 द्वारा रबी विपणन वर्ष 2023-24 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु राजफैड को आवंटित निम्नांकित अतिरिक्त नवीन क्रय केन्द्रों को निरस्त किया जाता है।

क्र.सं.	जिला	क्रय केन्द्र का नाम	क्रय एजेन्सी
1	कोटा	किशनपुरा तकिया	राजफैड
2		बोरखेड़ा	


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अनीता मीना)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. प्रबंध निदेशक, राजफेड/तिलम संघ, जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, कोटा, राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, कोटा, राजस्थान।
6. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
7. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. राज्य प्रमुख, नेफेड, जयपुर।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार ऑनलाइन पोर्टल में आवश्यक संशोधन कर उक्त क्रय केन्द्रों पर पंजीकृत किसानों को FCI को आवंटित क्रय केन्द्र भामाशाह मंडी, कोटा पर हस्तांतरित करने का श्रम करें।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
12. जिला रसद अधिकारी, कोटा को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त क्रय केन्द्रों पर पंजीकृत किसानों को FCI को आवंटित क्रय केन्द्र भामाशाह मंडी, कोटा पर हस्तांतरित किये जाने के संबंध में समस्त संबंधितों को सूचित करना सुनिश्चित करें।



अतिरिक्त खाद्य आयुक्त